

जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने वाली, 12 वीं उत्तीर्ण, उत्तराखण्ड में कार्यरत अर्ह आशा कार्यकर्त्रियों को लिखित प्रवेश परीक्षा में 15 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा। इस हेतु आशा कार्यकर्त्रियों को सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार दर्शाई गई समस्त अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इन्हें ऑनलाईन आवेदन भरते समय चिकित्सा विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी अपलोड करनी अनिवार्य होगी। तभी संबंधित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

- 4.7 इस हेतु उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आशा कार्यकर्त्रियों को ऑनलाईन आवेदन भरते समय उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आशा कार्यकर्त्रियों को लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में 15 प्रतिशत अंक अधिमान के रूप में जोड़ते हुये परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।
- 4.6 राजकीय विभागों में सेवारत नियमित नर्सिंग क्रर्मियों के लिए किसी नर्सिंग पाठ्यक्रम विशेष में केवल आरक्षित नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों के अतिरिक्त, अनारक्षित सीटों में प्रवेश लेने हेतु अर्हताएँ सामान्य अभ्यर्थियों के समान ही होंगी। परन्तु इस हेतु इन सेवारत कर्मियों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
- 4.7 शासनदेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- 4.8 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2025-26 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का कार्यक्रम :-

जी0एन0एम0

दिनांक एवं दिन	समय	प्रश्न-पत्र	प्रश्नों की संख्या
02.08.2025 शनिवार	प्रातः 02.00 बजे से मध्याह्न 04.00 बजे तक	1. सामान्य भाषा (हिन्दी) 2. प्रारम्भिक गणित 3. सामान्य विज्ञान 4. सामान्य अध्ययन/सामान्य ज्ञान	20 20 20 40

ए0एन0एम0

दिनांक एवं दिन	समय	प्रश्न-पत्र	प्रश्नों की संख्या
03.08.2025 रविवार	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	1. सामान्य भाषा (हिन्दी) 2. सामान्य भाषा (अंग्रेजी) 3. प्रारम्भिक गणित 4. सामान्य विज्ञान 5. सामान्य अध्ययन / सामान्य ज्ञान	10 10 20 30 30

- ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानकानुसार उपरोक्त विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों ही पाठ्यक्रम के पृथक-पृथक प्रश्नपत्र होंगे।
- उत्तराखण्ड –ए0एन0एम0 तथा जी0एन0एम0 प्रवेश परीक्षा-2025 में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। जिसमें ए0एन0एम0 हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारम्भिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे तथा जी0एन0एम0 हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारम्भिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 30 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न-पत्र दो घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक अंक 100 होंगे।
- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वोपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा गलत/उत्तर न देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिका का manual assessment उपरोक्त सूचना विवरणिका के बिन्दु संख्या 2.21 में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।

- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- उत्तराखण्ड –ए0एन0एम0 तथा जी0एन0एम0 प्रवेश परीक्षा-2025 में बैठने वाले अभ्यर्थी जी0एन0एम0 तथा ए0एन0एम0 पाठ्यक्रमों में से केवल एक अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बर्ते कि अभ्यर्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हों।

उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको विवरण पुस्तिका (Information Bulletin 2025) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

6. उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का परीक्षा केन्द्र :-

उत्तराखण्ड ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
पौड़ी गढ़वाल (श्रीनगर)	2
नई टिहरी	3
चमोली (गोपेश्वर)	4
हरिद्वार	5
नैनीताल (हल्द्वानी)	6
पिथौरागढ़	7
अल्मोड़ा	8
उत्तरकाशी	9
चम्पावत	10
ऊधम सिंह नगर	11
बागेश्वर	12
रुद्रप्रयाग	13

परन्तु विश्वविद्यालय को न्यूनतम छात्र संख्या की आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी को आन-लाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उपरोक्त में से न्यूनतम तीन परीक्षा केन्द्रों का अपनी च्वाइस के क्रम में विकल्प भरना अनिवार्य होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्रों को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भरी गयी परीक्षा केन्द्रों की च्वाइस में से किसी एक परीक्षा केन्द्र का विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा